

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

(ब्लॉक नं.-2, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर)

☎ 0771-2511507, फैक्स 0771-2221627, website—descg.gov.in, Email-des.cg@gmail.com

—: आदेश —:

नवा रायपुर, दिनांक 14/06/2021

क्रमांक / 267 / 2021 / आसांस / 105B-प्रशा./स्था. :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रं. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008, 208/सी-2802/ 10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009, वित्त निर्देश क्रं 233 दिनांक 10 अगस्त 2009, वित्त निर्देश क्रं. 55 दिनांक 05 मार्च 2010, वित्त निर्देश 239 दिनांक 25 जून 2012 एवं वित्त निर्देश क्र. 38, दिनांक 1 जुलाई, 2014, वित्त निर्देश 11, 16 अप्रैल, 2015, वित्त निर्देश 24, 15 सितम्बर, 2016, वित्त निर्देश 43, 23 सितम्बर, 2017, वित्त निर्देश 43, 8 अगस्त, 2018, वित्त निर्देश 14, 16 जुलाई, 2019 एवं वित्त निर्देश 08, 08 मई, 2020 द्वारा जारी निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर एवं अधीनस्थ जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में कार्यरत जमादार, भृत्य एवं चौकीदार चतुर्थ श्रेणी (अनुसचिवीय) कर्मचारियों को उच्चतर समयमान वेतनमान उनके नाम के सामने तालिका के स्तंभ क्रं. 7 में दर्शाये गये दिनांक से स्वीकृत किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	संवर्ग का मूल वेतनमान रु.	10 वर्ष मे दिए जाने वाला प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान	20 वर्ष मे दिए जाने वाला द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान	30 वर्ष मे दिए जाने वाला तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	श्री दिलीप कुमार यादव	जमादार	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	---	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1900	तृतीय दि.30-08-2016
2.	श्री देव सिंह नेताम	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1900	तृतीय दि. 04-11-2019
3.	श्री झुमुक लाल यादव	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	---	द्वितीय दि.23-02-2018
4.	श्रीमती बिन्दा बाई यादव	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	---	द्वितीय दि.23-07-2018
5.	श्रीमती मीना यादव	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	---	द्वितीय दि.10-07-2018
6.	श्रीमती तीजो बाई	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	---	द्वितीय दि.27-07-2018
7.	श्री पीलू राम बघेल	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1900	तृतीय दि. 05-09-2018
8.	श्री रामदास राम भगत	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1900	द्वितीय दि.02-09-2009 तृतीय दि. 02-09-2019
9.	श्री राजमणि सोनकर	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	---	वे.बैं.5200-20200 ग्रेड वेतन-1800	---	द्वितीय दि.08-07-2014
10.	श्री कार्तिक राम निषाद	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	---	---	प्रथम दि.06-09-2018
11.	श्री संतोष कुमार देशमुख	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	---	---	प्रथम दि.06-09-2018
12.	श्री अच्छे लाल रजक	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	---	---	प्रथम दि.05-09-2018

क्रमशः...2...

//2//

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	संवर्ग का मूल वेतनमान रु.	10 वर्ष में दिए जाने वाला प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान	20 वर्ष में दिए जाने वाला द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान	30 वर्ष में दिए जाने वाला तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	----	----	प्रथम दि.01-09-2018
14.	श्रीमती गोदावरी तिवारी	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	----	----	प्रथम दि.03-09-2018
15.	श्री नवनीत कुमार शेषर	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	----	----	प्रथम दि.22-07-2019
16.	श्री अमित वर्षकर	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	----	----	प्रथम दि.16-11-2019
17.	श्री मणिलाल साहू	भृत्य	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1300	वे.बैं.4750-7440 ग्रेड वेतन-1400	----	----	प्रथम दि.07-01-2018

टीप :-

1. इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान पर नियुक्ति की तिथि पर वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 (ए)(i) के अनुसार किया जाएगा तथा वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी।
2. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से इस योजना के अन्तर्गत पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्ति है, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अन्तर्गत, जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही इस योजना के अन्तर्गत उक्त पदोन्नति के पहले के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् भी व्यक्तिगत रूप से करेगा।
3. उपरोक्त जमादार, भृत्य एवं चौकीदार का वेतन निर्धारण हेतु आदेश जारी होने के तारीख से एक माह के अन्दर विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
4. यदि किसी कर्मचारी को पात्रता न होते हुए भी किसी प्रकार से समयमान वेतनमान का लाभ मिल गया हो तो उसकी वसूली संबंधित कर्मचारी से की जावेगी।
5. ऐसे कर्मचारी जिन्हें प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान के साथ-साथ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की भी पात्रता बनती हो, ऐसी स्थिति में कर्मचारी को विकल्प प्रस्तुत कर वेतन नियतन कराना चाहिए।
6. उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात् शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच/सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से अनिवार्य रूप से करा ली जावे। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान का लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा, परन्तु बाद में उसे किसी अन्य उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ०क्रं. 268 / 2021 / आसांसं / 105B-प्रशा. / स्था.

नवा रायपुर, दिनांक 14 / 06 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, ----- (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. स्थापना शाखा/वेतन शाखा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री.....पदनाम आ.सां.सं. नवा रायपुर/जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय----- (छत्तीसगढ़) को पालनार्थ ।
8. एक-एक प्रति व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

अपर संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़